संं0-2 /2022/वे0आ0-1-242/दस-2022-1(एम)/2020

प्रेषक,

पुष्पराज ,
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो,
उ0प्र0 लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 05 अप्रैल, 2022**

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-65 में अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो हेतु प्राविधानित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग के प्राविधानित धनराशि रू0 182.35 लाख (रू0 एक करोड बयासी लाख पैतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम 04 माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिये निम्नलिखित मदों में व्यय को वहन करने के लिये निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया आप के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं :--

(लाख रू0 में)

क्र0 सं0	**मानक मदें**	**वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये प्राविधानित धनराशि (लाख रू0 में)**	अप्रैल से जुलाई, 2022 तक **04 माहों के लिये निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि (लाख रू0 में)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	01- वेतन	110.00	36.67
2	03- मँहगाई भत्ता	40.70	13.57
3	04- यात्रा व्यय	0.50	0.17
4	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.17
5	06- अन्य भत्ते	0.10	0.03
6	07- मानदेय	0.10	0.03
7	08- कार्यालय व्यय	2.00	0.66
8	11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.10	0.36
9	12- कार्यालय फर्नीचर और उपकरण	0.30	0.10
10	13- टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.17
11	15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7.00	2.33
12	16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	0.20	0.06
13	26- मशीन और सज्जा/उपकरण और संयत्र	0.50	0.17

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

14	29- अनुरक्षण	0.10	0.03
15	42- अन्य व्यय	0.50	0.17
16	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.30	0.10
17	45- अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.17
18	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.00	0.33
19	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.25	0.41
20	49- चिकित्सा व्यय	3.00	1.00
21	51- वर्दी व्यय	0.20	0.06
22	55- मकान किराया भत्ता	8.00	2.67
23	58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4.00	1.33
	योग	**182.35**	**60.76**

(रूपये साठ लाख छिहत्तर हजार मात्र)

2. उक्त धनराशि का व्यय मदवार ही किया जायेगा। धन का आवंटन ही व्यय के लिये अधिकार प्रदान नहीं करता, अत: जहाँ कही आवश्यक हो, व्यय के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के पत्र संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 में जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

4. प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-65 के लेखाशीर्षक-''2052- सचिवालय सामान्य सेवायें-091-संलग्न कार्यालय-05-अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो'' की उपर्युक्त वर्णित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
पुष्पराज
संयुक्त सचिव

संख्या-2/2022/वे0आ0-1-242/दस-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(4) श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव, अपर निदेशक, वित्त, 6, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पुष्पराज
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।